न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	किस्म मुकदमा	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.37 / 2025 (GCMS No. 2025 / 80)	अपील	01.07.2025	10.02.2026

बउनवान

1. मस्तराम आ. हेमराज जाति मीणा,
   निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
2. कौशल कुमार मीणा आ. हेमराज जाति मीणा,
   निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
3. रूकमा पत्नी आ. हेमराज जाति मीणा,
   निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

— अपीलांटस

बनाम

1. नन्दकिशोर आ. पुष्पचन्द जाति मीणा नि. ग्राम हरिपुरा तह.बून्दी
2. कस्तुरीबाई नातायत पत्नी पुष्पचन्द जाति मीणा नि. ग्राम हरिपुरा
3. अयोध्या बाई पुत्री पुष्पचन्द पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा
   निवासी ग्राम मुण्डघसा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
4. कमलेशी बाई पुत्री पुष्पचन्द पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा
   निवासी ग्राम पाकलपुरिया, तहसील बून्दी, जिला बून्दी।
5. मौसम बाई पुत्री पुष्पचन्द पत्नी राधेश्याम जाति मीणा
   निवासी ग्राम गणपतपुरा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी।
6. सुनीता पुत्री स्व0 हेमराज जाति मीणा
   निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी
8. उप पंजीयक, बून्दी

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री मोहम्मद शरीफ, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 7, 8 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार, बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 399 दिनांक 28.04.2025 ग्राम हरिपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार पुष्पचन्द पुत्र हरबक्ष के देहान्त के बाद उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर क्रमांक 37/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2025/80 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 360/112 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, ख.सं. 390/244 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, ख.सं. 393/262 रकबा 1.4326 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.6260 हैक्टेयर वाके ग्राम हरिपुरा में स्थित है, उक्त भूमि के पूर्व खातेदार अपीलांट सं.1, 2 के दादा व क्रम 3 के ससुर पुष्पचन्द पुत्र हरबक्ष थे। खातेदार पुष्पचन्द की मृत्यु दिनांक 03.01.2025 को हो चुकी है। मृतक पुष्पचन्द ने अपने जीवनकाल में श्रीमती कस्तूरी पुत्री चतरा से हिन्दू रीति रिवाज अनुसार सप्तपदी से विवाह किया था। कस्तूरीबाई के पुष्पचन्द के नुत्फे अपीलांट सं.1, 2 व रेस्पो.सं.6 के पिता व अपीलांट सं.3 के पति हेमराज का जन्म हुआ। खातेदार पुष्पचन्द के पुत्र हेमराज की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसान अपीलांटस व रेस्पो.सं. 6 है। मृतक खातेदार पुष्पचन्द जी ने अपीलांट की दादी श्रीमती कस्तूरी पुत्री चतरा की जीवितावस्था में ही कस्तूरी की बिना सहमति के एक अन्य महिला जिसका नाम कस्तूरीबाई पुत्री मोडू है, उससे नाता विवाह कर लिया है। उक्त रेस्पो.सं. 2 कस्तूरी के पुष्पचन्द से रेस्पो.सं. 1 पुत्र एवं रेस्पो.सं. 3, 4, 5 पुत्रियां पैदा हुये है। पुष्पचन्द की नातायत पत्नी श्रीमती कस्तूरी पुत्री मोडू विवाहिता पत्नी नहीं होने के कारण विवाहिता पत्नी की मौजूदगी में नातायत पत्नी व उसकी सन्तानों को मृतक पुष्पचन्द की पैत्रिक कृषि भूमियों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इसके उपरान्त भी मृतक पुष्पचन्द के मरणोपरान्त उनके खातेदारी अधिकार की उक्त कृषि भूमि का फोती नामान्तकरण संख्या 399 दिनांक 28.04.2025 अपीलांटस व रेस्पो.सं. 6 के साथ साथ रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 के नाम भी तस्दीक कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध है। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी और न ही कोई सुनवाई का अवसर ही दिया गया। जिससे अपीलांट के सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ है। यह प्रकिया न्यायालय के सूचना व सुनवाई के

जिला कलक्टर, बून्दी

नैसर्गिक सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत है। अपील विषयक कृषि भूमि पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में कब्जे की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा देने पर दिनांक 16.06.2025 को हुई। देरी क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरआरडी 1994 पेज 604, आरआरडी 2012 पेज 413 एवं आरआरडी 2025(2) पेज 834 की नजीरें प्रस्तुत करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपील विषयक नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलांटस एवं रेस्पो.सं.6 के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो.सं. 2 कस्तूरी बाई मृतक खातेदार पुष्पचन्द की पत्नी है तथा रेस्पो.सं. 1, 3, 4, 5 खातेदार पुष्पचन्द की सन्तानें है। अपीलांटस द्वारा रेस्पो.सं.2 कस्तूरी बाई को खातेदार पुष्पचन्द की नातायत पत्नी बताया है तथा उसकी पहली पत्नी कस्तूरी बाई की जीवितावस्था में ही नाता विवाह कर लिये जाने का कथन किया है, किन्तु इसकी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। जबकि वास्तव में रेस्पो.सं. 1, 3, 4, 5 की माता कस्तूरी बाई द्वारा पुष्पचन्द से उनकी पत्नी की मौजूदगी में नाता विवाह नहीं किया था। अपीलांटस द्वारा खातेदार पुष्पचन्द के विधिक वारिसान रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 को उनके विरासत के अधिकार से वंचित करने की नीयत से यह अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश की गई है, जो चलने योग्य नहीं है। अपील में कोई कानूनी प्रश्न भी निहित नहीं है जिस पर सुनवाई की जा सकें। खातेदार पुष्पचन्द की मृत्युपरान्त उसके सभी विधिक वारिसानों के नाम विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई कानूनी नुक्स नहीं है और अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5 द्वारा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 16.06.2025 को होने पर अपील दिनांक 24.06.2025 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम हरिपुरा में स्थित आराजी ख.सं. 360/112 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 390/244 रकबा 2.0234 हैक्टेयर एवं 393/262 रकबा 1.4326 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 3.6260 हैक्टेयर भूमि का खातेदार पुष्पचन्द पुत्र हरबक्ष हिस्सा पूर्ण दर्ज रेकार्ड था। खातेदार पुष्पचन्द के फोत हो जाने से उसके खाते की भूमि पर उसके वारिसान का नाम दर्ज कर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 399 दिनांक 28.04.2025 जो दिनांक 06.06.2025 को स्वीकृत किया गया है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपीलांटस की अपील में मूल आपत्ति यह रही कि रेस्पो.सं.2 कस्तूरीबाई द्वारा खातेदार मृतक पुष्पचन्द की पहली पत्नी कस्तूरीबाई की मौजूदगी में ही नाता विवाह कर लिया था, पहली पत्नी के जीवित होने से पुष्पचन्द का दूसरा विवाह (नाता) अवैध है। इसलिए रेस्पो.सं. 2 एवं पुष्पचन्द के नुत्फे से उत्पन्न रेस्पो.सं. 1, 3, 4, 5 का अपील विषयक आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में अपीलांटस के साथ साथ रेस्पो.सं. 1 लगायत 5 के पक्ष में तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

अपीलांटस द्वारा उक्त आपत्ति के संबंध में अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे खातेदार पुष्पचन्द की पत्नी के जीवित होते हुये रेस्पो.सं. 2 कस्तूरी बाई द्वारा उससे नाता विवाह किया हो। बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलांटस की आपत्ति का कोई महत्व नहीं है। अपीलांटस द्वारा दौराने बहस एवं अपील के पेज नं. 2 में रेस्पो.सं. 2 के पुष्पचन्द से रेस्पो.सं. 1, 3, 4, 5 पैदा होना स्वीकार किया है। ऐसे में रेस्पो.सं. 1, 3, 4, 5 खातेदार पुष्पचन्द की सन्तान होना निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में खातेदार पुष्पचन्द के उत्तराधिकारियों को विरासत में प्राप्त अधिकारों से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि वे नातायत पत्नी के उत्पन्न हुये है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार पुष्पचन्द पुत्र हरबक्ष के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन विरासत के नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी